


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत प्रिति कुमारी पति-रविन्द्र कुमार ग्राम: कुमरांग- खुर्द, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: - कुमरांग- खुर्द; थाना सं. 51 खाता सं.- 3; के अधीन प्लॉट सं.-6, 328, 258, 221, 259, 82, 59, 229; खाता सं.- 11; के अधीन प्लॉट सं.-79; खाता सं.- 22; के अधीन प्लॉट सं.-88, 169, 283, 284, 285; ग्राम: - कुमरांग-कला, थाना सं. 52; खाता सं.- 4; के अधीन प्लॉट सं.-4, 187, 72, 178, 206, 384, 435, 25; खाता सं.- 31; के अधीन प्लॉट सं.-199; खाता सं.- 59; के अधीन प्लॉट सं.-585; खाता सं.- 61; के अधीन प्लॉट सं.- 59, 518, 577; खाता सं.- 19; के अधीन प्लॉट सं.-339; खाता सं.- 14; के अधीन प्लॉट सं.- 445; खाता सं.- 94/15; के अधीन प्लॉट सं.-357; कुल रकबा: -2.00 एकड़ (रेयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (आमपाली - चन्द्रगुप्त), सी.सी.एल. के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर पंद्रह दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


05/07/2015